रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2009/फाल्गुन 18, 1930
No. 426] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2009/PHALGUNA 18, 1930

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

का.आ. 653(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 (इसके बाद जे पी एम अधिनियम के रुप में उल्लेख किया जाएगा) की धारा-3 के प्रावधानों के तहत दिनांक 1 सितंबर, 2008 को जारी आदेश संख्या सां.आ. 2143(ई) के माध्यम से पटसन वर्ष 2008-09 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100% पैकेजिंग के लिए खाद्यान्न और चीनी को आरक्षित किया है ।

2. और जबकि जे पी एम अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार यदि इसका मत यह है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जो किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के वर्ग की आपूर्ति अथवा वितरण कर रहे हैं, को इस अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए आदेश के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है।

3. और जबकि यदि प्रमुख आदेश के खंड 6 के प्रावधानों के तहत, पटसन पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में कमी अथवा व्यवधान की स्थिति में, वस्त्र मंत्रालय उक्त आदेश के प्रावधानों से अधिकतम 20% तक छूट देने के लिए अधिकृत है ।

4. और जबकि पटसन उद्योग. में प्रचालन करने वाली 18 ट्रेड यूनियनें 1 दिसंबर, 2008 से पश्चिम बंगाल में स्थित पटसन मिलों में लगातार हड़ताल पर चली गई जो 18.12.2008 तक चली जिसके कारण पश्चिम बंगाल में 52 पटसन मिलों में दिसंबर, 2008 और जनवरी, 2009 के माह में उत्पादन प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ था। पटसन के थैलों की आपूर्ति में कमी के कारण राज्य सरकारों और खरीद एजेंसियों को अधिसूचना सं. एस ओ 363(ई) दिनांक 28.1.09 और आदेश संख्या 9/1/2007-जूट दिनांक 13.02.09 द्वारा 3.47 लाख गांठों तक की छूट प्रदान की गई थी ।

5. और जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएसएंडडी) और भारतीय पटसन मिल संघ (आईजेएमए) के परामर्श से रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2009-10 के लिए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन के थैलों की मांग और सरकारी खरीद एजेंसियों को पटसन के थैलों की आपूर्ति के मामले में पटसन उद्योग की सुदृढ़ आपूर्ति क्षमता और निष्पादन की 28 फरवरी 2009 तक समीक्षा की है ।

6. और जबकि भारत सरकार ने विचार किया है कि आर एम एस 09-10 (सुपुर्दगी अवधि 31.3.09 तक) के लिए खरीद एजेंसियों द्वारा पटसन पैकिंग सामग्री की अनुमानित आवश्यकता 5.56 लाख गांठ है । पटसन उद्योग द्वारा सरकारी एजेंसियों को आरएमएस 09-10 में 28 फरवरी, 2009 तक 1.99 लाख गांठ आपूर्ति की गई है । आगे अधिकतम 1.95 लाख गांठ प्रति माह आपूर्ति हो सकती है । इस प्रकार, सरकार का यह मत है कि वर्तमान परिस्थितियों में पटसन उद्योग रबी मौसम 09-10 के लिए खरीद एजेंसियों की अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होगा ।

7. और जबकि खाद्य मंत्रालय द्वारा आकलन किया गया है कि एजेंसियों द्वारा रबी खरीद 15 मार्च, 2009 को शुरु किए जाने की संभावना है और आरएमएस 09-10, अप्रैल 2009 तक (पहले से प्रदान छूट प्राप्त करने के बाद) पटसन थैलों के लिए 5.56 लाख गांठों की आवश्यकता है जिसमें से पटसन उद्योग द्वारा अधिक से अधिक 4.5 लाख गांठ तक आपूर्ति की जा सकती है।

8. अब इसलिए केन्द्र सरकार का यह मत होने के कारण कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है और जे पी एम अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा राज्य सरकारों (और उनकी खरीद एजेंसियों) और भारतीय खाद्य निगम को रबी विपणन मौसम 2009-10 (पहले से ही अभी तक प्रदान की गई छूट के अलावा) के लिए 0.75 लाख गांठ की कुल मात्रा तक इस मुख्य आदेश को लागू किए जाने (और इस प्रकार पटसन के अलावा सामग्री में खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए अनुमति देते हुए) से और छूट प्रदान करती है । प्रस्तावित छूट, मुख्य आदेश के खंड 6 के तहत यथा निर्धारित चालू वर्ष में ऐसी एजेंसियों द्वारा की गई खाद्यान्न की कुल खरीद के 20% की सीमा के भीतर है ।

9. विभिन्न खरीद एजेंसियों को प्रदान की गई छूट की मात्रा का आबंटन उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वस्त्र मंत्रालय को सूचित करते हुए किया जाए।

10. यह छूट खरीद एजेंसियों द्वारा 31 मई, 2009 तक खाद्यान्न की खरीद एवं पैकिंग के लिए अपेक्षित अथवा उनके द्वारा 15.04.2009 को अथवा इससे पूर्व प्राप्त वैकल्पिक पैकिंग सामग्री के उपयोग के लिए वैध होगी।

11. इस छूट के किसी दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-

(क) छूट प्राप्त एजेंसियां पटसन आयुक्त (जेसी) को विवरण प्रस्तुत करेंगी जिसमें 15 जून, 2009 तक इस छूट के आधार पर वैकल्पिक पैकिंग सामग्री की खरीद का ब्यौरा (पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में) होगा ।

(ख) खरीदी गई वैकल्पिक सामग्री बीआईएस और आईएलओ मानकों के अनुरुप होनी चाहिए ।

(ग) थैलों की ब्रांडिंग (वैकल्पिक सामग्री की) डीजीएसएंडडी के निदेशों के अनुसार और लागू नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए तथा गुणवत्ता खाद्य मंत्रालय/आदेशकर्ता के निदेशों के अनुसार होनी चाहिए ।

[फा. सं. 9/1/2007-पटसन]

आर. के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

(JUTE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2009

S.O. 653(E).—WHEREAS the Central government vide order no S.O. 2143(E) dated 1st September 2008 (hereinafter referred to as the Principal Order) issued under the provisions of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use In Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved food-grain and sugar for 100% packaging in jute packaging material for the jute year 2008-09.

2. AND WHEREAS under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under section 3 of the Act.

3. AND WHEREAS under the provisions of clause 6 of the Principal Order, in case of shortage and disruption of supply of jute packaging material, Ministry of Textiles is authorised to grant relaxation of the provisions of the said Order upto a maximum of 20%.

4. AND WHEREAS 18 Trade Unions operating in Jute Industry proceeded on a continuous strike in the jute mills located in West Bengal wef 1 Dec 2008 which continued till 18.12.08, on account of which, production in 52 Mills in West Bengal was adversely affected in the month of December 2008 as well as January 2009. On account of the shortage of supply of jute bags, exemptions were granted to State Governments and procurement agencies to the extent of 3.47 lakh bales vide notification No. S.O. 363(E) dated 28.1.09 and Order No. 9/1/2007-Jute dated 13.2.09.

5. AND WHEREAS the Central Government has further reviewed the demand of Jute Bags for packing food-grains for Rabi Marketing Season (RMS) 2009-10 and the corresponding supply capacity and the performance of jute industry in respect of supply of jute bags to the government procurement agencies till 28th Feb 2009 in consultation with Ministry of Consumer Affairs , Food & Public Distribution, Director General, Supplies & Disposals (DGS&D), as well as Indian Jute Mills Association(IJMA).

6. AND WHEREAS the Government of India has considered that the estimated indents for jute packing material by the procurement agencies for the RMS 09-10 (Delivery Period till 31-3-09) is 5.56 lakh bales. The supply to government agencies by the Jute Industry till 28th Feb, 2009 on RMS 09-10 account has been 1.99 Lakh bales. Further supplies can at most be 1.95 lakh bales per month. Thus, the government is of the view that it is evident that under the current circumstances, Jute

industry may not be in a position to fully supply the indents placed as per the delivery schedule required by the procurement agencies for the Rabi season 09-10.

7. AND WHEREAS it has been assessed by the Ministry of Food that the Rabi procurement by the agencies is likely to start on 15th March 2009 and the requirement of jute bags (after availing the exemptions already granted), for RMS 09-10 upto April, 2009 is 5.56 Lakh bales, of which the Jute Industry can at-most supply 4.5 Lakh Bales.

8. NOW THEREFORE, the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provisions of Section 16(1) of The JPM Act, hereby further exempts the State Governments (and their procurement agencies) and the Food Corporation of India from the operation of the Principal Order (and thus allowing for packaging food-grains in material other than jute) upto the extent of a total quantity of 0.75 Lakh bales for the Rabi Marketing Season 09-10 (in addition to the exemptions already granted so far). The proposed relaxation is within the limit of 20% of the total procurements of food-grain made by such agencies for the current jute year, as prescribed under clause 6 of the Principal Order.

9. The allocation of the exempted quantity to the various procurement agencies would be done by Ministry of CA, Food & PD under intimation to the Ministry of Textiles.

10. This exemption would be valid for use of alternate packing material received by the procurement agencies on or before 15-4-09, and required for procurement and packing of food-grain made upto 31 May 2009.

11. In order to prevent any misuse of this exemption, this order shall be subject to the following conditions-

(a) The exempted agencies shall furnish a return to the Jute Commissioner (JC) indicating the details of procurement of alternative packing material on the basis of this relaxation (in the format prescribed by the Jute Commissioner) by 15th June 2009.
(b) Alternate packing material procured should be as per the BIS and ILO standards.
(c) Branding of the bags (of alternate material) should be strictly according to the directions of DGS&D and as per applicable rules and the quality shall be as per the directions of Ministry of Food/ Indentor.

[F. No. 9/1/2007-Jute]

R. K. CHATURVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.